अध्याय - 7

कोयले का उत्पादन, विपणन और वितरण

7.1 कोयला उत्पादन

7.1.1 01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2013 की अवधि के दौरान पूरे भारत में कोयला उत्पादन 173.225 मि.टन था। 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान 604.55 मि.टन के लक्ष्य की तुलना में 564.76 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया जो कि लक्ष्य का 93.4% है।

7.1.2 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) ने 01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2013 की अवधि के दौरान 16.01 मि.ट. कोयले का उत्पादन किया था। 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक के दौरान 54.30 मिलियन टन लक्ष्य की तुलना में 50.47 मि.टन कोयले का उत्पादन किया गया जो कि लक्ष्य का 92.9% है।

7.2 कोयले का वितरण और विपणन

सीआईएल का विपणन प्रभाग इसकी सभी सहायक कोयला उत्पादक कंपनियों के विपणन कार्यकलापों की आयोजना, समन्वय एवं मानीटरिंग करता है। विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता क्षेत्रों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल का राज्य के राजधानियों में क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों का नेटवर्क है।

7.3 लिंकेज समितियां

7.3.1 नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 के लागू होने से पूर्व स्पांज आयरन यूनिटों सहित सीमेंट, विद्युत तथा इस्पात से संबंधित उपभोक्ताओं को कोयले की दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपलब्धता तथा वितरण तय करने के लिए दो प्रकार की लिंकेज समितियां कार्य करती थीं :

i) स्थायी लिकेंज समिति (एसएलसी) (दीर्घावधि)

ii) स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि)

7.3.2 तथापि, लिंकेज प्रणाली के स्थान पर एनसीडीपी और एफएसए की व्यवस्था लागू हो जाने से स्थायी लिकेंज समिति (अल्पावधि) जो कोयला का उत्पादन और उसमें शामिल संभार तंत्र को ध्यान में रखकर तिमाही आधार पर विद्युत एवं सीमेंट क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले का आबंटन किया करती थी, अब कोई आबंटन नहीं कर रही है।

7.3.3 स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) आयोजना स्तर पर सीसीपी एवं आईपीपी, सीमेंट तथा स्पांज आयरन सहित विद्युत उपयोगिताओं की कोयले की आवश्यकता पर विचार करती है और अपेक्षित मात्रा, गुणवत्ता, समयसीमा, खपत संयंत्रों का स्थान, परिवहन लाजिस्टिक, कोयला खान हेतु विकास योजना इत्यादि जैसे कारकों की जांच करने के पश्चात युक्तिसंगत स्रोत से दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में आवश्कता को संयोजित करती है।

7.3.4 दीर्घावधि लिंकेज समिति की अध्यक्षता इस समय अपर सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इसमें विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोल इंडिया लि. सीएमपीडीआईएल तथा एससीसीएल के प्रतिनिधि होते हैं।

7.3.5 नई कोयला वितरण नीति ने ''आश्वासनपत्र'' (एलओए) की अवधारणा लागू की है, जिसमें

विकासकर्ताओं को कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति की व्यवस्था है, बशर्ते कि वे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करते हों। विकासकर्ताओं द्वारा एलओए में निर्धारित लक्ष्यों को एकबार पूरा कर लेने के पश्चात एलओए धारक कोयले की दीर्घावधि आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) संपन्न करने के लिए पात्र होंगे। अन्य वाणिज्यिक नियम एवं शर्तों के साथ आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की मात्रा एफएसए में ही दी जाती है।

7.3.6 रिपोर्ट में उल्लिखित अवधि के दौरान नए आश्वासन पत्र जारी करने हेतु कोई भी एसएलसी (एलटी) बैठक नहीं हुई है। तथापि, विद्युत, इस्पात एवं स्पांज आयरन तथा सीमेंट क्षेत्र में लंबित एलओए की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 6 बैठकें की गई थी।

7.4 विद्युत, सीमेंट और इस्पात संयंत्रों को कोयले का आवंटन

7.4.1 इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले का आवंटन पहले कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता था। तथापि, कोकिंग कोयले का नियंत्रण समाप्त होने के पश्चात, कोयला कंपनियां स्वयं कोकिंग कोयले की आपूर्ति, एसएलसी (एलटी) द्वारा स्थापित लिकेंजों के आधार पर या विद्यमान प्रतिबद्धता के आधार पर कर रही हैं।

7.4.2 जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान सीआईएल ने विभिन्न उपभोक्ताओं को निम्नलिखित मात्रा में कोयले की आपूर्ति की (तालिका 'क') :

जनवरी, 2012 से मार्च, 2013 के दौरान तथा जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की शेष अवधि के लिए एससीसीएल से कोयले का अनुमानित क्षेत्र–वार उठान नीचे **तालिका 'ख'** में दिया गया है:–

(तालिका 'क') कोल इंडिया लि. **(अनंतिम)(मिलियन टन में)**

क्षेत्र	लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति का :
इस्पात*	12.37	9.80	79
विद्युत (उपयोगिताएं)**	471.84	451.86	96
कैप्टिव पावर	44.59	38.20	86
सीमेंट	9.12	6.84	75
उर्वरक	3.59	2.85	79
स्पांज आयरन	15.39	10.73	70
अन्य	64.21	80.69	126
कोलि. उपभोग	0.62	0.49	78
कुल	**621.72**	**601.45**	**97**

* इसमें वाशरियों को फीड किया गया कोकिंग कोयला, सीधे फीड, इस्पात संयंत्रों को ब्लेन्डेबल, कोक ओवन, प्राइवेट कोकरीज और कोकरीज को एनएलडब्ल्यू कोयला शामिल हैं ।

** इसमें परिष्करण के लिए वाशरी और बीना डिशेलिंग संयंत्र को फीड करने के लिए कोकिंग तथा नानकोकिंग कोयला शामिल हैं।

एससीसीएल

तालिका 'ख' (अंनतिम) (मिलियन टन में)

क्षेत्र	जनवरी, 2013 से मार्च, 2014	जनवरी, 2012 से मार्च, 2013 तक	वृद्धि (%)
विद्युत (उपयोगिता और सीपीपी)	48.19	53.33	(-) 9.64
इस्पात (स्पांज आयरन)	0.50	0.87	(-) 42.52
सीमेंट	6.47	6.85	(-) 5.55
उर्वरक	-	-	-
अन्य	7.54	7.56	(-) 0.03
कोलियरी कन्स्ट्र	0.06	0.08	(-) 25.0
कुल	**62.76**	**68.69**	**(-) 8.68**

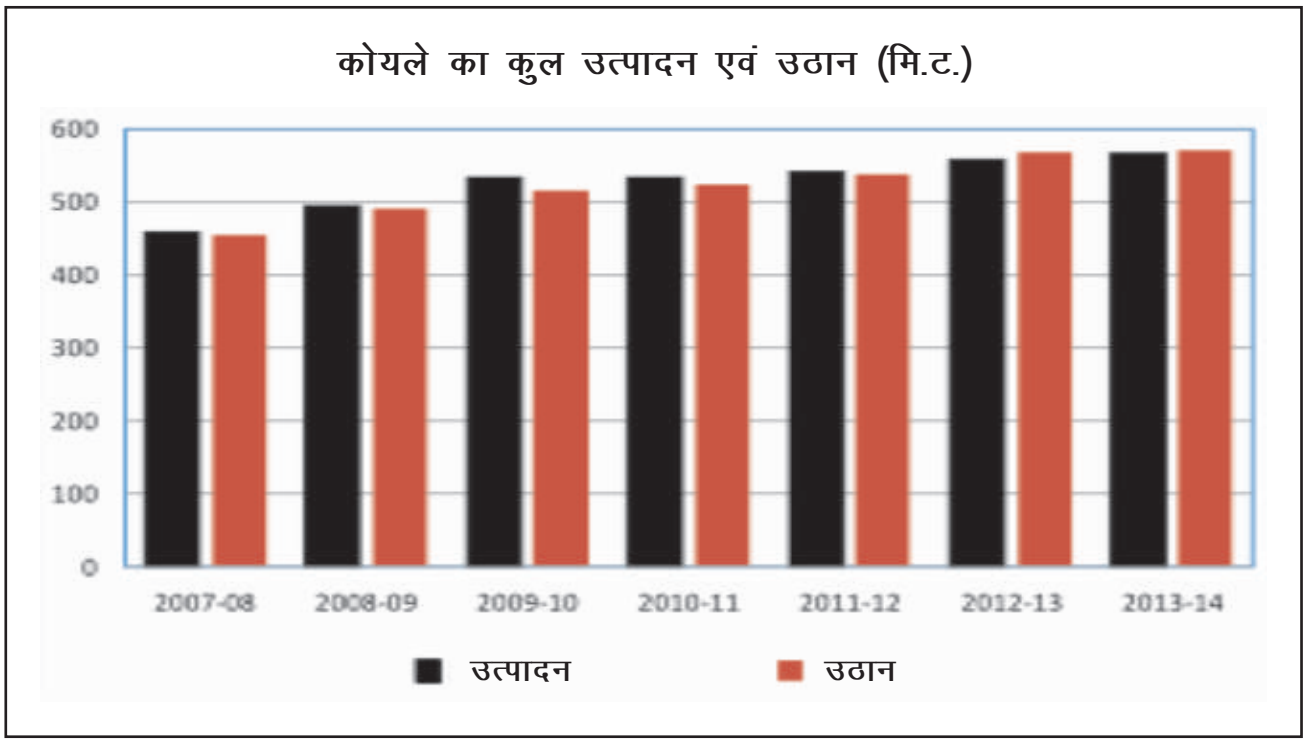

7.5 विद्युत गृह

जनवरी, 2013 मार्च, 2014 के दौरान तापीय विद्युत गृहों द्वारा सीआईएल से कोयले के उठान 451.86 मिलियन टन था जो कि लक्ष्य का 96% की प्राप्ति थी। गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उठान में 16.58 मिलियन टन अर्थात 3.8% की वृद्धि हुई है। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान एससीसीएल से तापीय विद्युत स्टेशनों द्वारा वास्तविक कोयले का उठान 48.19 मिलियन टन था जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 53.33 मि.टन था।

7.6 सीमेंट संयंत्र

जनवरी, 2013 मार्च, 2014 के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 7.86 मिलियन टन की तुलना में 6.84 मिलियन टन (अनंतिम) था। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान एससीसीएल से सीमेंट संयंत्रों को वास्तविक प्रेषण पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान 6.85 मि0टन की तुलना में 6.47 मि0टन है।

7.7 परिवहन के साधन

सीआईएल में कोयले और कोयला उत्पादों के

तापीय विद्युत स्टेशन के लिए कोयले से लदे रेलवे वेगन

परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मैरीगोराउंड पद्धति (एमजीआर), कन्वेयर बैल्ट और मल्टी माडल रेलएवं समुद्री मार्ग हैं। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान कोयला और कोयला उत्पादों की कुल ढुलाई में परिवहन के इन साधनों का लगभग शेयर नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	परिवहन के साधन	शेयर %
1	रेलवे (रेलवे एवं समुद्री सहित)	54.8
2	सड़क	23.6
3	एमजीआर	19.4
4	बैल्ट कन्वेअर्स/रोपवेज	2.2

एससीसीएल में परिवहन का महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मेरीगोराउंड प्रणाली (एमजीआर) रोपवे हैं। उक्त अवधि के दौरान कोयले की कुल आवाजाही मे परिवहन के इन साधनों का हिस्सा लगभग निम्नलिखितानुसार है

क्र. सं.	साधन	शेयर %
1	रेलवे (आरसीआर ससहित)	61.52
2	सड़क	20.90
3	एमजीआर	16.54
4	श्रोप	1.04

बेल्ट कन्वेयर/रोपवे–कोयले की ढुलाई के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक तरीका

7.8 नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत की गयी प्रगति (एनसीडीपी):

7.8.1 अक्टूबर, 2007 में नयी कोयला वितरण नीति लागू करने से पहले उपभोक्ताओं को दो विस्तृत श्रेणियों, कोर तथा नानकोर क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। उपभोक्ताओं को पूर्व में वर्गीकृत करने का आधार मात्र आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर आधारित था। तथापि, नयी कोयला वितरण नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं के तत्कालीन वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

7.8.2 इसी नीति के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ताओं को, इस संबंध में लागू विनियामक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, गुणअवगुण के आधार पर माना गया है।

7.8.3 विद्युत, सीमेंट और स्पांज आयरन क्षेत्रों के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) उनकी कोयला आवश्यकताओं की संस्तुति करने के लिए प्राधिकृत है। ऐसी संस्तुति के आधार पर, सीआईएल में आश्वासन पत्र संबंधी समिति (सीएलओए) कोयला कंपनी वार आवंटन करती है। कोयला कंपनियां विशिष्ट लक्ष्यों सहित आश्वासन पत्र जारी करती हैं जिसमें एलओए धारक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लक्ष्य हासिल करने होते हैं जिससे वे कोयला आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करने हेतु पात्र हो जाते हैं। सभी वर्तमान वैध उपभोक्ताओं को की जाने वाली कोयला आपूर्ति को विधिक रूप से लागू ईंधन आपूर्ति समझौता के अंतर्गत लाया गया है।

7.8.4 एनसीडीपी के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में सीआईएल द्वारा की गयी प्रगति संक्षेप में नीचे दी गयी है :

कोल इंडिया लि.

(क) लिंकेज प्रणाली का स्थान ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) ने ले लिया है और तदनुसार 1227 मौजूदा लिंक्ड उपभोक्ताओं में से 1195 उपभोक्ताओं ने एफएसए संपन्न कर लिया है। अक्टूबर, 2007 में एनसीडीपी लागू होने के पश्चात मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ 2008 में एफएसए संपन्न किए गए। इन एफएसए का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए था, अधिकांश एफएसए समाप्त हो गए हैं तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। मार्च, 2014 तक विद्युत कंपनियों के वर्ग को छोड़कर, कोयला कंपनियों के साथ 875 उपभोक्ताओं के पास वैध एफएसए है।

एनसीडीपी के अंतर्गत मार्च, 2014 (अनंतिम) तक संपन्न एफएसए की क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है:–

पुराने मौजूदा उपभोक्ता (विद्युत उपयोगिताओं को छोड़कर)	वैध उपभोक्ताओं की संख्या	संपन्न एफएसए की संख्या
सीपीपी	142	128
स्पांज आयरन	246	195
सीमेंट	46	44
कागज	45	36
एल्युमिनियम	4	2
ब्रिकेट	66	20
एसएसएफ	83	53
कोकरीज	149	146
अन्य	444	251
कुल सीआईएल	**1225**	**875**

(ख) 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार मौजूदा विद्युत स्टेशनों के साथ संपन्न किए जाने वाले 133 एफएसए में से 129 एफएसए संपन्न कर लिए गए हैं ।

(ग) एलओए को जारी करने के लिए एसएलसी (एलटी) की सिफारिशों में से, मार्च, 2014 तक विद्युत, स्पांज आयरन तथा सीपीपी एवं सीमेंट क्षेत्र में कुल 595 नए उपभोक्ताओं ने सीजी प्रस्तुत किया था तथा आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उन्हें एलओए जारी किया गया था। 594 इकाइयों ने लक्ष्य प्रस्तुत किए तथा उनमें से 435 ईकाइयों ने एफएसए संपन्न किए। अन्य एलओए पूरा किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) लघु और मध्यम उपभोक्ता क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों को आवंटन के लिए सीआईएल द्वारा 8 मिलियन टन कोयला निर्दिष्ट किया गया है। 31 मार्च, 2014 तक वर्ष 2013–14 के लिए 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी 24 राज्य एजेंसियों के नामांकन भेजे हैं, जिनमें से 17 राज्य एजेंसियों ने 4.058 मिलियन टन के लिए एफएसए संपन्न किया है।

(ङ) अप्रैल, 2012 में जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सीआईएल ने वर्तमान माडल एफएसए में संशोधन करते हुए आपूर्ति के न्यूनतम आश्वासित स्तर (ट्रिगर स्तर) को 50% से 80: तक कर दिया है तथा एफएसए की अवधि को 01.04.2009 तथा 31.03.2015 के बीच स्थापित किए जाने वाले 60 हजार मेगावाट की कुल क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों के लिए 5 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया है जिनका डिस्काम के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) हुआ है।

(च) उपरोक्त के अलावा जुलाई, 2013 में एक अन्य राष्ट्रपति का निर्देश आया जिसके माध्यम से पात्र विद्युत संयंत्रों की सूची संशोधित की गई थी तथा 78000 मेगावाट की कुल क्षमता निर्धारित की गई थी जिसके लिए संशोधित माडल में एफएसए निष्पादित किए जाएंगे, इस शर्त पर कि उक्त 78000 मेगावाट में से 60000 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों की वास्तविक पीपीए लिंक्ड एफएसए के अनुसार कोयला आहरण के लिए पात्र हो जाते हैं तो वास्तविक आपूर्ति कार्यक्रम की आगे समीक्षा की जाएगी।

(छ) दिनांक 17.7.2013 के राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार सीआईएल को 78555 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 172 टीपीपी के साथ एफएसए संपन्न करना था। 31.03.2014 तक 72575 मेगावाट की कुल क्षमता तथा 221.6 मि. ट. की वार्षिक संविदागत मात्रा के लिए विद्युत संयंत्रों के साथ कुल 160 एफएसए संपन्न किए गए हैं। तथापि, उक्त क्षमता में से 56937 मेगावाट की क्षमता वाले टीपीपी ने दीर्घकालिक

विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) किए हैं तथा चालू होने की शर्तो पर कोयला आपूर्ति शुरू करने के लिए पात्र हैं।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

(क) एनसीडीपी के अंतर्गत एफएसए की क्षेत्रवार स्थिति (31.03.2014 तक)

क्षेत्र	लिंक्ड उपभोक्ताओं की संख्या	संपन्न एफएसए की संख्या
विद्युत (प्रमुख)	4	4
सीपीपी	31	31
स्पांज आयरन	35	35
सीमेंट	58	58
अन्य	248	248

(ख) एससीसीएल ने एसएलसी (एलटी) द्वारा अनुशंसित 28 यूनिटों के लिए एलओए जारी किए हैं :

- सीमेंट यूनिटों के साथ एलओए को एफएसए में परिवर्तित किया गया 09
- केप्टिव विद्युत संयंत्र के साथ एलओए को एफएसए में परिवर्तित किया गया। 13
- एफएसए में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है 02
- लागत जमा के अंतर्गत एलओए जारी करने के लिए अनिच्छुक यूनिटें 04

7.9 लघु तथा मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण

7.9.1 एनसीडीपी के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4200 मि.ट. प्रति वर्ष तक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को कोयला वितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से कोयले का वितरण किया जाना है। राज्यों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से वितरण हेतु वार्षिक रूप से कुल 8 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जो संबंधित कोयला कंपनियों के साथ एफएसए संपन्न करने के पश्चात कोयला ले सकेंगे।

7.9.2 इन एजेंसियों से वसूला गया मूल्य अधिसूचित मूल्य के समान होगा जैसा कि एफएसए करने वाले अन्य उपभोक्ताओं पर लागू है। एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूले गए आधार मूल्य के अलावा वास्तविक भाड़ा तथा सेवा शुल्क के रूप में 5% मार्जिन तक वसूल करने की हकदार होगी।

7.9.3 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने 201314 के दौरान लघु उद्योगों को कोयले का वितरण करने के लिए अपनी एजेंसियां नामित की हैं। 25 राज्य एजेंसियां नामित की गयी हैं, जिनमें से 18 राज्य एजेंसियों ने 4.058 मि.ट. मात्रा के लिए एफएसए संपन्न किए हैं।

7.10 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एनसीडीपी के अंतर्गत राज्य एजेंसियों के साथ एफएसए

1	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सं0	35
2	निर्दिष्ट मात्रा (लाख टटन)	80.00
3	उन राज्यों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2013 14 के लिए एजेंसियां नामित कीं	18
4	राज्यों/नामित एजेंसियों को आबंटित मात्रा (लाख टटन में)	47.67
5	अब तक एफएसए के अंतर्गत कोयला प्राप्त कर रहे राज्यों की संख्या	15
6	एफएसए के अंतर्गत शामिल एसीक्यू (लाख टटन)	40.58

7.11 कोयले की ईनीलामी

7.11.1 सीआईएल में ईनीलामी:

एनसीडीपी प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक माह बाजार आधारित मूल्यों पर इलेक्ट्रानिक नीलामी (ईनीलामी) के माध्यम से कोयला भी नियमित रूप से बेचा जा रहा है। ईनीलामी दो प्रकार की होती है स्थल पर ईनीलामी और फारवर्ड ईनीलामी। स्थल पर ईसभी वर्गों के क्रेताओं के लिए है। फारवर्ड ईनीलामी के मामले में केवल अन्त्य उपयोगकर्ता/वास्तविक उपभोक्ता भाग लेने के लिए पात्र होते हैं और उनके पास एक वर्ष से अधिक समय की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। प्रत्येक फारवर्ड ईनीलामी 12 महीने की होगी जिसमें 33 महीने की चार तिमाहियां होंगी। उपभोक्ताओं के पास किसी एक तिमाही की अथवा एक बार में सभी चार तिमाहियों के लिए बोली लगाने की छूट होगी। बोलीकर्ताओं/उपभोक्ताओं को आरक्षित मूल्य अथवा उससे अधिक मूल्य पर बोली लगानी होती है। हालांकि स्थल ईनीलामी नवम्बर 2007 से लागू है, फारवर्ड ईनीलामी अगस्त, 09 से आरंभ हुई है। ईनीलामी के अंतर्गत सीआईएल की कोयला कंपनियों को अनुमानित वार्षिक उत्पादन के लगभग 10% की पेशकश की जाएगी। एनसीडीपी के कार्यान्वयन के पश्चात ईनीलामी का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

	स्थल पर ई नीलामी				फारवर्ड ई नीलामी			
	अप्रैल 12 – दिसम्बर, 12	अप्रैल 13– दिसम्बर 13	जनवरी 13– मार्च, 13	अप्रैल 13– मार्च, 14	अप्रैल 12 – दिसम्बर, 12	अप्रैल 13– दिसम्बर 13	जनवरी 13– मार्च, 13	अप्रैल 13– मार्च, 14
बोली लगाने वालों की संख्या	55596	63408	28057	84485	265	270	81	354
सफल बोली लगाने वालों की संख्या	30877	36586	17238	50937	185	175	71	239
पेशकश की गई कुल मात्रा (लाख टटन)	345.40	480.55	178.92	688.62	68.13	57.23	18.66	78.80
आबंटित की गयी कुल मात्रा (लाख टटन)	300.83	404.70	141.72	581.25	37.61	31.55	12.01	40.94
कुल आबंटित मात्रा का अधिसूचित मूल्य (करोड़ रू. में)	5038.62	6576.13	2397.93	9281.04	550.58	326.21	106.05	444.46
कुल आबंटित मात्रा का बोली मूल्य (करोड़ रू. में)	7816.10	8971.31	3332.42	12767.06	691.97	469.81	133.53	621.55
अधिसूचित मूल्य पर : वृद्धि	55.1	36.4	39.0	37.6	25.7	44.0	25.9	39.8

जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान कंपनीवार स्थल ईनीलामी (अनंतिम) **(आंकड़े लाख टन में)**

कंपनी	पेशकश की गयी मात्रा	आबंटित मात्रा	अधिसूचित मूल्य पर : वृद्धि
ईसीएल	71.37	54.85	21.6
बीसीसीएल	37.69	30.76	63.5
सीसीएल	109.94	87.46	56.1
एनसीएल	66.51	66.33	49.0
डब्ल्यूसीएल	94.50	64.76	31.6
एसईसीएल	247.45	211.63	33.9
एमसीएल	236.04	204.23	36.9
एनईसी	4.03	2.94	7.1
सीआईएल	867.54	722.97	38.2

7.11.2 एससीसीएल में ईनीलामी :

एससीसीएल ने कोयले की ईनीलामी दिसम्बर, 2007 में आरंभ की है। जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान स्थल ईनीलामी के माध्यम से एससीसीएल द्वारा बेचे गए कोयले का ब्यौरा निम्न् प्रकार से है :

कंपनी	पेशकश की गई मात्रा मात्रा	बेची गई मात्रा	अधिसूचित मूल्य पर : वृद्धि
एससीसीएल	8.25 एलटाभ	7.11 एलटी	31

एससीसीएल फारवर्ड ई–नीलामी नहीं कर रहा है।

7.12 कोयले का आयात

7.12.1 वर्तमान आयात नीति के अनुसार उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार और वाणिज्यिक सूझाबूझा का उपयोग करते हुए, स्वयं ही स्वतंत्र रूप से (खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत) कोयले का आयात कर सकते हैं।

7.12.2 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) तथा दूसरे इस्पात क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है। यह मुख्यतः आवश्यकता तथा घरेलू उपलब्धता के मध्य अंतर को दूर करने तथा क्वालिटी को सुधारने के लिए किया जाता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, सीमेंट, संयंत्र, केप्टिव बिजली संयंत्र, स्पांज आयरन संयंत्र, औद्योगिक उपभोक्ता तथा कोयला व्यापारी नान कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं। कोक का आयात मुख्यतः कच्चा कोयला विनिर्माताओं तथा मिनीब्लास्ट फरनेस का उपयोग करने वाले लोहा तथा इस्पात क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2005–06 से 2012–13 तक आयातित कोयले का विवरण निम्नानुसार है:–

(मिलियन टन में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कोकिंग कोयला	16.89	17.88	22.03	21.08	24.69	19.48	31.80	32.56
नन कोकिंग कोयला	21.7	25.2	27.76	37.92	48.57	49.43	71.05	105.00
कोक	2.62	4.69	4.25	1.88	2.36	1.49	2.36	3.01
कुल आयात	**41.21**	**47.77**	**54.04**	**60.88**	**75.62**	**70.4**	**105.21**	**140.57**

(**स्रोत:** अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2012–13–कोयला नियंत्रक संगठन)

7.12.3 दिनांक 17.03.2012 के अधिसूचना संख्या 12/2012– कस्टम (तालिका का क्रम सं0 123) के अंतर्गत उप शीर्ष 27011920 के अंतर्गत आने वाले स्टीम कोयले पर आज की स्थिति के अनुसार 2% की दर से बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) और 2% की दर से काउंटर वेली शुल्क (सीवीडी) लगाया जाता है ।

7.13 कोयला उपभोक्ता परिषद

क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों की स्थापना उपभोक्ताओं की शिकायतों की मॉनीटरिंग तथा निवारण करने के लिए प्रत्येक कोयला कंपनी में की गई है। इसके अलावा, सीआईएल (मुख्यालय) में स्थापित राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद ऐसे मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यदि शिकायतों पर जबाब एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है अथवा शिकायतकर्ता कोयला कंपनी द्वारा दिए गए जबाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उस मामले को राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद के पास भेजा जाता है। इन परिषदों को 201011 के दौरान पुनगठित किया गया था और इसमें कई नए सदस्यों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद की एक बैठक सीआईएल, कोलकाता में 07 अगस्त, 2013 को आयोजित की गई थी, इसके अलावा, नामित परिषद के सदस्यों; सीमेंट, उर्वरक एवं ब्रिक किन क्षेत्र से प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

सीआईएल ने उपभोक्ताओं के शिकायतों का प्रभावी रूप से निवारण करने के उद्देश्य से ऑन लाइन शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है जो सीआईएल की वेबसाइटों के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने के लिए सभी क्रेताओं को पहुंच प्रदान करता है। शिकायतों/आवेदन पत्र के लिए दिशानिर्देश तथा शिकायतों के रिपोर्ट की स्थिति आदि भी क्रेता की सुविधा के लिए उपलब्ध है।